77/D 6368

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

1

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

336972

विक्रय-पत्र

बैनामा अंकन 23,75,000/- रूपये।
स्टाम्प अंकन 1,90,000/- रूपये।

विवरण विक्रय सम्पत्तिः- कृषि भूमिधरी के आकार पत्र 23 दिनांक 17-04-2007ई0 के अनुसार चक सं0-53 के खेत नं0 06 रकबा 1-13-0 पुख्ता सालिम लगानी रूपये 9=80 पैसे सालाना सम्पूर्ण जो चकबन्दी से बाहर है को बैनामा हाजा में बेचा गया हैं स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला-गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

26 APR 2007

स्टाम्प नं0 12 ... 95 ...
स्टाम्प नं0 .... से शामिल किया गया
उप कोषाधिकारी

हरि ओउम S/O ओमप्रकाश
R/O कुलालपुर

बैनामा 2375000/- 5000
उजरत ... 5020/- ... 600
श्री राजाराम
पुत्र श्री स्व0 गोपीचन्द ... पेशा खेती
निवासी चनरावली रामगढ़ तहसील दादरी
ने कार्यालय [illegible]
दिनांक [illegible] 24/4/07
[illegible] 3 व 4 [illegible] किया

राजाराम 24/4/07

इस लेखपत्र का सम्पादन एवं इसमें [illegible]
जरेबदल रु0 2375000/- [illegible]
जिनमें से ....
[illegible] श्री राजाराम व यशवन्त

सिंह पुत्रगण स्व0 गोपीचन्द व जगदीश कुमार
व राजकुमार व रवि पुत्रगण स्व0 धनीराम R/o
ग्राम चनरावली रामगढ़ तहसील दादरी ने वे तामील
से हरी ओम S/o ओमप्रकाश R/o ग्राम कुलालपुर
तह0 जि0 गौतमबुद्ध नगर ने [illegible]

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

336973

विक्रेता एवम् क्रेता दोनों अनुसूचित जाति एवं जनजाति से है।

विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे व भूदान पट्टे आदि की नहीं है। संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज है।

विक्रीत भूमिधरी भूमि जिसका सर्किल रेट 16,00,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर का है। किन्तु क्रेता द्वारा सर्किल रेट से अधिक पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

विक्रीत भूमि किसी जी0टी0रोड, राज्य रोड अथवा लिंक रोड पर स्थित नहीं है

विक्रीत भूमि की बाबत क्रेता व विक्रेता दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा माहदा वय पंजीकृत नहीं हुआ है।

कार्यालय उप कोषागार
[illegible]

24 APR 2007

स्टाम्प नं० 18 रु० 25 मात्र
स्टाम्प नं० 12 से रजिस्टर किया गया
उप रोकड़िया

विक्रेता श्री कान्हा सिंह
पुत्र श्री गिरधारी सिंह पेशा खेती
निवासी [illegible]
व श्री महेन्द्र
पुत्र श्री [illegible] पेशा खेती
निवासी [illegible]
के वी

24/4/07

पन्ना लाल सिंह

साक्षी भले प्रतीत होते है चिन्ह

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

336974

हम कि राजाराम व यशवंत सिंह पुत्रगण स्व0 श्री गोपी चन्द व जगदीश कुमार व राजकुमार व रवि पुत्रगण स्व0 श्री धनीराम जाति जाटव निवासीगण ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जनपद- गौतमबुद्धनगर। (विक्रेतागण, फरीक अव्वल)।

एवम्

हरिओम पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति कोरी, निवासी ग्राम तुगलपुर, तहसील व जिला- गौतमबुद्धनगर (उत्तर प्रदेश) (क्रेता फरीक दोयम)।

राजाराम यशवन्त सिंह जगदीश कुमार

राजकुमार रवि हरिओम

कार्यालय उप कोषागार
वावड़ी

24 APR 2001

स्टाम्प सं0 ...13... रू0 ...2100/-...

लाम्प सं0 ...12... में शामिल किया गया

उप कोषाधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

336975

विदित हो कि कृषि भूमिधरी के आकार पत्र 23 दिनांक 17-04-2007ई0 के अनुसार चक सं0-53 के खेत नं0 06 रकबा 1-13-0 पुख्ता सालिम लगानी रूपये 9=80 पैसे सालाना सम्पूर्ण जो चकबन्दी से बाहर है को बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर, जिसका फरीक अव्वल एकमात्र मालिक व संक्रमणीय भूमिधर स्वामी है। जोकि आज दिन तक फरीक अव्वल की ओर से हर प्रकार के भार, बंधक आदि से पाक साफ व सुरक्षित है। यानि कि किसी भी स्थान पर आड़, रहन, बय, हिबै, माहदाबय, जमानत आदि से ग्रस्त नहीं है तथा उपरोक्त भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय में

कार्यालय उप कोषागार
श्रावस्ती

24 APR 2007

स्टाम्प सं० 20 रू० 25 पैसे

स्टाम्प नं० 12 में शामिल किया गया

उप रोकड़िया

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

Photo Attested

N. C. SHARMA NOTARY
DADRI-NOIDA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

336976

कोई वाद विवाद विचाराधीन नहीं है तथा फरीक अव्वल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति हकदार या हिस्सेदार नहीं है। कोई कारण बाधा का उपरोक्त भूमिधरी भूमि को विक्रय करने में नहीं आता है। अतः फरीक अव्वल ने अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थिर चित्त की दशा में खूब सोच समझ कर बिना किसी दबाव व बहकाव के उक्त भूमि को सर्व अधिकार सहित आज की बजारू कीमत के बदले अंकन रूपये 23,75,000/- (तेईस लाख पिचहेत्तर हजार रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन रूपये 11,87,500/-होते है में इसी समय से हाथ उपरोक्त फरीक दोयम को बेच दी तथा कतई वय कर दी तथा

कार्यालय उप कोषागार
[illegible]

24 APR 2007

स्टाम्प नं0 21 रू0 25 का

रजिस्टर नं0 12 में शामिल किया गया

उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

Photo Attested

6

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N. C. SHARMA, NOTARY
DADRI-NOIDA
DISTT. G. B. NAGAR

336977

समस्त विक्रीतधन अर्थात भूमि की कुल कीमत निम्नलिखित अनुसार प्राप्त करके बेची भूमि को कब्जे अधिकार अपने से फरीक दोयम में देकर उस पर फरीक दोयम को अपने ही समान मालिकाना मालिक काबिज व दखिल कर दिया है। अब बैय किये पश्चात विक्रीत भूमि के किसी भी अंश से फरीक अव्वल व वारिसान फरीक अव्वल का कोई वास्ता या ताल्लुक किसी भी किस्म का शेष नहीं रहा है तथा ना ही भविष्य में होगा। कब्जा मौके पर फरीक दोयम को बहैसियत मालिक पूर्ण रूप से करा दिया है। अब आज की तारीख से ही फरीक दोयम को सर्वथा हक व अधिकार होगा कि वह खरीदकर्ता कृषि

कार्यालय उप कोषागार
सादड़ी

24 APR 2001

स्टाम्प नं0 ..2½.. रू0 ..25.. का ....
स्टाम्प सं0 ....12.... मैं शामिल किया गया

उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

7

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

336978

भूमिधरी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग मालिकाना अपने में लाकर चाहे जिस प्रकार से मालिकाना लाभ उठावें। यदि विक्रीत भूमि का कोई अंश किसी भी नुक्श कानूनी कमी आदि के कारण से कब्जे मालिकाना क्रेता फरीक दोयम से निकल जावेगा या कब्जा फरीक दोयम को न मिले या फरीक अव्वल मालिकाना मालिक हस्ताक्षरकर्ता सिद्ध न हुआ या अन्य किसी कारण से कब्जे मालिकाना फरीक दोयम से कुल या आंशिक रूप से निकल जावेगी तो हर ऐसी दशा में फरीक दोयम को हक होगा कि वह उस समय की बजारू कीमत को जिस प्रकार चाहे बजरिये अदालत फरीक अव्वल व वारसान फरीक

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

24 APR 2001

स्टाम्प नं० 23 से 27 तक
स्टाम्प नं० ...... में शामिल किया गया
उप कोषाधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

APR 2007

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

793672

अव्वल की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। दाखिल खारिज बेची भूमिधरी का बनाम फरीक दोयम के करा दूँगा या फरीक दोयम इस विक्रय पत्र के आधार पर सरकारी अभिलेखों में अपना नाम स्वयं दर्ज करा लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है तथा आस-पास भी कृषि भूमि है।

46

क्रम सं० ------ स्टाम्प विक्रय की तिथि --- 24/4(?)

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ---

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ---

स्टाम्प की धनराशि ------ 5000

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता

ला० नं० 9- अवधि 31-3-2008

तहसील कम्पाउन्ड दादरी (गौ० बु० नगर)

अधिकतम सीमा 15000/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उ ा प्रदेश UTTAR PRADESH 793673

9

<u>विवरण धन अदायगी</u> :– 23,75,000/– रूपये पेशगी फरीक अव्वल (विक्रेता) ने फरीक दोयम (क्रेता) से प्राप्त कर लिये। अब कोई पैसा विक्रेता का क्रेता की ओर बाकी नहीं रहा है।

उपरोक्त लिखित दस्तावेज फरीक अव्वल व फरीक दोयम की जानकारी के आधार पर तैयार की गयी। दस्तावेज पर चस्पा फोटो गवाहों के कथन पर सत्यापित है। खेत का फोटो सलंग्न है।

क्रमांक ... स्टाम्प विक्रय की तिथि ...
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ...
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ...
स्टाम्प की धनराशि ...

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 9- अवधि [illegible]-3-2008
तहसील सदर [illegible]
[illegible] सीमा 15000/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 793674

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे। इति।।

गवाह - 1

गवाह - 2

तारीख 24-04-2007ई0 मसौदाकर्ता **राधेश्याम अग्रवाल,** बैनामा लेखक, दादरी (गौतमबुद्धनगर) **लाइसेन्स नं0-1** राधेश्याम अग्रवाल

बैनामा लेखक

तहसील-दादरी

गौतमबुद्धनगर

40 24/4/07

[illegible] 5000/-

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता

ला० नं० 9- [illegible] -3-2008

तहसील कम्पाउण्ड दादरी (गौ.बु.नगर)

विक्रय सीमा 15000/-

आज दिनांक 24/4/07 को फोटोस्टेट
प्रति पुस्तक संख्या 1 खण्ड संख्या 629
के पृष्ठ 1/20 पर क्रम संख्या 6368
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक
दादरी